

हाउसकीपिंग (साफ-सफाई),
विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टनेन्स एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा / भावपत्र आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक— 1482

रायपुर दिनांक— 15 NOV 2021

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 500/-
अमानत राशि	रुपये 60,000/-
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.12.2021 समय 04 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03.12.2021 समय 01 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 03.12.2021 समय 02:30 बजे अपरान्ह

राज्य सूचना आयोग,
नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर 19
नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छोगो)
फोन नं. 0771—2512107, 0771—2512106
फैक्स 0771—2512102 वेब साईट—www.siccg-gov-in
ई—मेल:—sic.cg@nic.in

क्रमांक (1)

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल
नगर कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई)
विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टनेन्स एवं सिक्युरिटी हेतु
निविदा प्रपत्र (टेक्निकल बिड)

1. निविदाकार फर्म/ठेकेदार का नाम :—
2. पिता का नाम :—
3. पेन नंबर (पेन की प्रति संलग्न करें।) :—
4. जी.एस.टी. नम्बर (पंजीयन की प्रति संलग्न करें।) :—
5. फर्म का ई.पी.एफ.कोड नंबर (प्रति संलग्न करें।) :—
6. फर्म का ई.एस.आई.सी. नंबर (प्रति संलग्न करें।) :—
7. हाऊस कीपिंग एवं सुरक्षा कार्य का लाईसेन्स नम्बर (प्रति संलग्न करें।) :—
8. लेबर लाईसेन्स नम्बर (प्रति संलग्न करें।) :—
9. कार्यालय पता :—
10. निवास का पता :—
11. धरोहर राशि जमा करने का विवरण :— सचिव छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नाम से देय बैंक ड्राप्ट क्रमांक दिनांक (राशि रु. 60,000/- साठ हजार रुपये मात्र का)
12. बैंक का नाम/शाखा :—
13. विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न :—
14. अनुभव संबंधी विवरणी (नियोक्ता से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।) :—
15. निविदा प्रपत्र राशि रु. 500/- नगद जमा करने की पावती क्र..... दिनांक..... अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नाम से देय डिमाण्ड ड्राप्ट क्र..... दिनांक..... (राशि रु. 500/- पांच सौ रुपये मात्र।)

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
सील मुद्रा

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नाथ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल
नगर कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई)

विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा प्रपत्र (फाईनेन्शियल बिड)

निविदा भावपत्र दर (मासिक) :-

(निम्न तीनों बिन्दुओं की लागत विवरण पृथक से मद्वार, कर्मचारी वार, दर वार विवरण फाईनेन्शियल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

क्र.	मद्	विवरण	राशि
1	सफाई सामग्री पर व्यय	सफाई सामग्री (झाड़ू, पोछा, फिनाईल, एसीड, हार्पिक, कोलिंग, रूम फ्लेशनर, डामर गोली, लाईजोल, जाला दाग धब्बों की सफाई, डिस्टिंग Odonil (टायलेट पेपर) आदि पर होने वाले व्यय प्रतिमाह हेतु)	
2	सफाई कर्मचारी पर व्यय	सफाईकर्मी मय स्वीपर-06 (03 पुरुष+03 महिला), सुपरवाईजर-01, एवं भवन में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आवश्यकतानुसार सुधार करने हेतु उपलब्ध कराना होगा। कार्यरत कर्मियों को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेवर एकट, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. दुर्घटना बीमा आदि समस्त व्यय के साथ एकमुश्त राशि—	
3	सिक्युरिटी गार्ड	04 सिक्युरिटी गार्ड (पुरुष) को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेवर एकट, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. दुर्घटना बीमा आदि समस्त व्यय के साथ एकमुश्त राशि—	
4	एजेंसी का सर्विस चार्ज		
5	शासन द्वारा लागू जीएसटी		
6	महायोग		

अभिवचन :-

- (1) मेन्टेनेस हेतु विद्युत सामग्रियां, सेनेटरी सामग्रियां आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मेन्टेनेस का कार्य एजेंसी को करना है।
- (2) सफाई कर्मचारियों, सिक्युरिटी गार्ड एवं एजेंसी के अन्य कर्मचारियों को एजेंसी की ओर से वर्दी उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) आयोग से संबंधित सफाई कर्मचारियों सिक्युरिटी गार्ड एवं एजेंसी के अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी की ड्यूटी एजेंसी की ओर से लगायी जायेगी।
- (4) अटल नगर सेक्टर 19 में निर्मित राज्य सूचना आयोग भवन परिसर, भूतल (1210.29 sqm), प्रथम तल (1161. sqm), द्वितीय तल (186. sqm), टॉयलेट-बाथरूम का भौतिक अवलोकन पश्चात साफ-सफाई, विद्युत एवं प्लम्बरिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स को ध्यान में रखते निविदा के नियम शर्तों का अवलोकन पश्चात उक्त दरें कोट की जा रही है।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
सील मुद्रा

राज्य सूचना आयोग
नॉथ ब्लाक सेक्टर-19

नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ—सफाई),

विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टनेन्स एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा/भावपत्र की नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगमित निकाय/सार्वजनिक संस्थानों से साफ—सफाई तथा रखरखाव कार्य का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदाकर्ता को निविदापत्र/भावपत्र आवेदन के साथ 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) धरोहर राशि (Earnest Money), सचिव, राज्य सूचना आयोग रायपुर के नाम से देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक जमा करना होगा। बिना धरोहर राशि (Earnest Money), के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्ति पर उक्त राशि (आवश्यक कटौती के उपरांत) वापिसी योग्य होगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सम्पूर्ण परिसर की सफाई के अंतर्गत भूतल (1210.29sqm), प्रथम तल (1161. sqm), द्वितीय तल (186. sqm), टॉयलेट—बाथरूम के समस्त कमरों, हाल बरामदा, टायलेट, बाथरूम, वाशबेसिन, मूत्रालय, दरवाजे, खिड़कियां, वेन्टीलेटर, ग्रील्स, पार्टीशन सीलिंग, फर्नीचर, आलमारियां, रैक, पंखे सहित अन्य उपकरण, कार्यालय के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र सहित भविष्य में कार्यालय भवन में शामिल होने वाले अन्य भवन क्षेत्र भी शामिल माना जायेगा।
4. फाईनेन्शियल बीड में मदवार राशि का उल्लेख करना आवश्यक है।
5. कंपिङ्का (3) में दर्शित सफाई कार्य के अंतर्गत झाड़ू, पोछा, धुलाई, डस्टिंग, जाला, दाग धब्बों की सफाई, ग्लास की सफाई, पंखे, कुर्सी—टेबल एवं अन्य आवश्यक साफ—सफाई इत्यादि करना होगा। सफाई में उपयोग होने वाले समग्री उच्च क्लालिटी के ब्राण्डेड सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होगा एवं चयनित संस्था को सम्पूर्ण साफ—सफाई सुनिश्चित करना होगा।
6. छ0ग0 राज्य सूचना आयोग कार्यालय परिसर के अंतर्गत स्थित बगीचा/उद्यान के रख—रखाव की जिम्मेदारी भी निविदा धारक की होगी।
7. समस्त सफाई कर्मियों, पुरुष को गहरे नीले रंग की फुलपैंट व हाफ शर्ट तथा महिला को गहरे नीले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज/सलवार—सूट एवं खाकी रंग का एप्रिन में आना होगा। वर्दी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी।
8. सभी तरह की सफाई के लिए उपकरण, दुर्गन्धनाशक, कीटनाशक, एसिड, परफ्यूम, कोलिंन, हार्पिक इत्यादि ठेकेदार द्वारा स्वयं लाया जावेगा। समस्त सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त मानक स्तर की होनी चाहिए। सफाई से संबंधित समस्त सामग्रियों, उपकरणों की पूर्ति नियुक्त निविदादाता को स्वयं करनी होगी।

क्रमांक (4)

9. कार्यालय परिसर से निकलने वाले कचरे, कूड़ा करकट, मलमा इत्यादि को एन.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित क्षेत्र / कन्टेनर में प्रतिदिन परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जावेगी।
10. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर किसी भी सफाई कर्मचारी की दुर्घटना या शारीरिक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता / ठेकेदार द्वारा स्वयं की जावेगी।
11. (अ) कार्यालयीन समय 10 बजे तक (सुबह 08.00 से 10 तक) सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना होगा। तदुपरांत अपरान्ह 04.00 बजे तक पुनः सफाई का कार्य सम्पादित करना होगा, इसके अलावा कार्यालयीन समय से आवश्यकतानुसार साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा। अवकाश के दिनों में कार्यालय की धुलाई, जाला, कचरा, मलमा इत्यादि की सफाई करना होगा। इस संबंध में कार्य आदेश के साथ अथवा बाद में विस्तृत निर्देश जारी किया जावेगा।
(ब) सुरक्षा कर्मचारियों को ड्यूटी शिफ्टवार 24 घंटे कार्यालयीन अवधि के साथ-साथ अवकाश के दिनों में भी रहेगी।
12. निविदादाता को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समर्स्त प्रचलित एवं समय-समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों, और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समर्स्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी आदि के भुगतान के संबंध में कार्यालय छ०ग० राज्य सूचना आयोग को प्रतिमाह अवगत करायेगा।
13. सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले समर्स्त कर्मचारियों के फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता, शिक्षा इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर कार्यालय में जमा करना होगा। प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर आवश्यकता समझे जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर द्वारा पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराया जावेगा।
14. सफाई कार्य का निरीक्षण के दौरान एवं उपरांत दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उचित साफ-सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रु. 500/- (पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा। जिसकी कटौती भुगतान किया जाने वाले देयक में से की जावेगी।
15. प्रत्येक माह की साफ-सफाई कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं संबंधित अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा। आयकर की कटौती प्रचलित नियमानुसार की जावेगी।
16. ठेकेदार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जावेगी।

17. कार्यालय में आयोजित मीटिंग के दिन कम से कम दो सफाई कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
18. सफाई ठेका स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष अवधि के लिए होगा। इस अवधि में बाद दूसरा ठेका देने की प्रक्रिया में विलम्ब होने की स्थिति में आगामी आदेश तक ठेकेदार को बढ़ाई गई अवधि तक निविदा की अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। निर्धारित अवधि को आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा किया जा सकेगा।
19. निविदादाता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच निविदादाता द्वारा बीच में कार्य छोड़ा गया तो नये ठेके से जो हानि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर अटल नगर जिला—रायपुर को होगी उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जायेगी।
20. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर अटल नगर जिला—रायपुर को होगा तथा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।
21. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को उचित मूल्य के स्टाम्प पर राज्य सूचना आयोग रायपुर के साथ अनुबंध करना होगा।
22. निविदादाता एवं छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर अटल नगर जिला—रायपुर के बीच किसी तरह के विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
23. उपरोक्त शर्तों के अनुसार ठेकेदार का कार्य संतोषजनक न होने पर ठेका समाप्त कर धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।
24. निविदा हेतु एक लिफाफा टेकिनिकल बिड एवं एक पृथक लिफाफा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रस्तुत करें। टेकिनिकल बिड लिफाफा में अमानत राशि की डी.डी. निविदा प्रपत्र लागत की पावती एवं अन्य वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के ऊपर टेकिनिकल बिड लिखना होगा। फाईनेन्शियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा। एवं लिफाफा के ऊपर फाईनेन्शियल बिड लिखना अनिवार्य होगा।
25. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 19 में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के परिसर, सभी कमरे, हॉल, ऑडिटोरियम, टायलेट एवं बाथरूम, पार्किंग स्थल, बगीचा एवं सम्पूर्ण कार्यालय भवन का भौतिक अवलोकन अवश्य कर ले।
26. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।
27. शौचालयों की सफाई में उच्चगुणवक्ता, लिकिवड सोप, फिनाईल गोलियां, ऑडोनिल फ्लेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिकिवड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी। समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा।
28. जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है वहाँ वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा।

क्रमांक (6)

29. डस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा।
30. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।
31. सभी सफाई कर्मी की ड्रेस में सफाई कर्मी अंकित हो जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये।
32. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा तथा दरवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा।
33. निविदा लिफाफा पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालयीन समय में आयोग की पंजीयन शाखा में रखे बॉक्स में डालना होगा।



15/11/2021

सचिव,

राज्य सूचना आयोग,

नवा रायपुर अटल नगर,

जिल-रायपुर (छोगो)